मेसर्स.गणेश सातारकर प्रकाशित

ब्राज़ील संविधान

Author: - MR.GANESH SHRIRANG SATARKAR

LL.M

Advocate , Bombay High Court

M/s.Adv.Ganesh Shrirang Satarkar & Co.
Published By This Book
Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932

BIOGRAPHY : ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

Adv. Ganesh Shrirang Satarkar is an emerging legal scholar, researcher, and academic contributor working at the intersection of law, criminology, sociology, and digital governance. He is currently associated with the Central University of Haryana, where he is pursuing postgraduate research in sociology alongside his interdisciplinary work in legal studies.

He holds an LL.M. in Criminal Law, LL.B. (Special), and has qualified the UGC-NET in both Law and Criminology. His academic research focuses on criminal justice systems, cybercrime, artificial intelligence in law, media and crime, governance studies, and socio-legal research.

Adv.Ganesh has contributed to national and international academic platforms through research publications, conference papers, and interdisciplinary collaborations. His work explores emerging legal challenges in areas such as digital justice, cyber security, social justice, gender studies, and technological transformations in legal systems.

He is actively connected with several international academic and research platforms including ORCID, Web of Science, SSRN, Vidwan (INFLIBNET), Google Scholar, OSF, and Harvard Dataverse.

Author Bio Researcher Profiles :

1. ResearchIDs : rid131046
2. Orcid Id : https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8474-7432
3. ISNI : https://isni.org/isni/0000000529498911
4. Web of Science ResearcherIDOYE-6264-2025
5. Social science research network SSRN Author ID: 9293272
6. Vidwan Profile URL: https://vidwan.inflibnet.ac.in/profile/666713
7. Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4MrvCEwAAAAJ
8. OSF ID : https://osf.io/cndj8/
9. harvard.edu : https://dataverse.harvard.edu/dataverse/GANESHSHRIRANGSATARKAR).
10 https://about.me/adv.ganeshsatarkar

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932

ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

CERTIFICATE

OF WORLD RECORD

Proudly Presented To

Ganesh Shrirang Satarkar

In recognition of the outstanding achievement of becoming the First Indian to Translate and Publish the Constitutions of All 54 African Countries into Hindi as Separate ISBN-Registered Books, demonstrating exceptional dedication, scholarly excellence, and a significant contribution to legal literature and linguistic accessibility, thereby establishing a distinguished and historic record of academic accomplishment.

We officially announce the above-mentioned candidate as a globally certified **"Inspiration World Record Holder"**.

The certificate was issued on 27th February, 2026.

INSPIRATION IS WHERE PASSION BECOMES LEGACY

CERTIFIED

Application No. IWR/2026/UR0173
Certificate No. IWR/2026/WRH0081
Issued By: Chief Adjudicator

ISO CERTIFIED

VISHWAGURU ARPANAM 2026

VIA2025/SS-VA2025AZ760-2025-170/09102025

2 025100 900010

ISO 9001:2015 Registration No: QT-56622/0925
Micro, Small, and Medium Enterprises Registration Number: 11-0093948
Trademark Registered Under the Act of "TRADE MARKS ACT, 1999"

© www.inspirationworldrecords.org

ब्राज़ील संविधान

भाग I – मौलिक सिद्धांत

Art 1 – ब्राज़ील एक लोकतांत्रिक संघीय राज्य है जो संप्रभुता, नागरिकता, मानव गरिमा, श्रम मूल्य और राजनीतिक बहुलवाद पर आधारित है।

Art 2 – राज्य की शक्तियाँ (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) स्वतंत्र और संतुलित हैं।

Art 3 – राज्य का उद्देश्य सामाजिक न्याय, विकास, गरीबी उन्मूलन और समानता स्थापित करना है।

Art 4 – विदेश नीति मानवाधिकार, शांति, समानता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है।

भाग II – मौलिक अधिकार

Art 5 – सभी व्यक्तियों को जीवन, स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और संपत्ति के व्यापक मौलिक अधिकार दिए गए हैं (बहुत विस्तृत अनुच्छेद)।

Art 6 – शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, श्रम आदि को सामाजिक अधिकार घोषित किया गया है।

Art 7 – श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, अवकाश, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सहित विस्तृत अधिकार दिए गए हैं।

Art 8 – श्रमिक संघ बनाने की स्वतंत्रता और राज्य हस्तक्षेप पर रोक है।

Art 9 – श्रमिकों को हड़ताल का अधिकार प्राप्त है।

Art 10 – श्रमिक और नियोक्ता सरकारी निर्णयों में भाग ले सकते हैं।

Art 11 – बड़ी कंपनियों में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का अधिकार है।

राष्ट्रीयता

Art 12 – जन्म और प्राकृतिककरण से नागरिकता प्राप्त करने के नियम बताए गए हैं।

Art 13 – पुर्तगाली भाषा राष्ट्रीय भाषा है और राष्ट्रीय प्रतीकों का निर्धारण किया गया है।

राजनीतिक अधिकार

Art 14 – सार्वभौमिक मताधिकार और चुनाव प्रणाली का प्रावधान है।

Art 15 – केवल विशेष परिस्थितियों में राजनीतिक अधिकारों का निलंबन संभव है।

Art 16 – चुनाव कानून लागू होने से पहले 1 वर्ष का अंतर आवश्यक है।

https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_2017

राजनीतिक दल

Art 17 – राजनीतिक दलों की स्वतंत्र स्थापना और कार्यप्रणाली सुनिश्चित की गई है।

भाग III – राज्य का संगठन

Art 18 – संघ, राज्य, जिला और नगर सभी स्वायत्त इकाइयाँ हैं।

Art 19 – राज्य धर्मनिरपेक्ष है और नागरिकों में भेदभाव नहीं कर सकता।

Art 20 – संघ की संपत्ति (जैसे प्राकृतिक संसाधन, समुद्र आदि) निर्धारित की गई है।

Art 21 – संघ के कार्य जैसे रक्षा, मुद्रा, संचार, परमाणु नियंत्रण आदि तय किए गए हैं।

Art 22 – संघ को कानून बनाने के विशेष अधिकार दिए गए हैं (जैसे नागरिक, आपराधिक कानून)।

Art 23 – संघ, राज्य और स्थानीय निकायों के साझा कार्य निर्धारित हैं।

Art 24 – कुछ विषयों पर संघ और राज्यों को संयुक्त विधायी अधिकार हैं।

राज्य

Art 25 – राज्यों को अपने संविधान बनाने और शासन करने की स्वतंत्रता है।

Art 26 – राज्यों की संपत्ति और संसाधनों का निर्धारण किया गया है।

Art 27 – राज्य विधानसभा और उसके सदस्यों की संरचना तय की गई है।

Art 28 – राज्यपाल और उप-राज्यपाल के चुनाव और कार्यकाल निर्धारित हैं।

नगर (Municipalities)

Art 29 – नगरपालिकाओं की संरचना और चुनाव प्रणाली निर्धारित है।

Art 29A – नगर परिषद के खर्च की सीमा तय की गई है।

Art 30 – नगरपालिकाओं के अधिकार (स्थानीय प्रशासन, कर, सेवाएँ) निर्धारित हैं।

Art 31 – नगरपालिका के वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था दी गई है।

संघीय जिला और क्षेत्र

Art 32 – संघीय जिला (Federal District) की संरचना निर्धारित है।

Art 33 – संघीय क्षेत्रों के प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान है।

हस्तक्षेप

Art 34 – संघ कब राज्यों में हस्तक्षेप कर सकता है, इसके नियम दिए गए हैं।

Art 35 – राज्य कब नगरपालिकाओं में हस्तक्षेप कर सकता है।

Art 36 – हस्तक्षेप की प्रक्रिया और शर्तें बताई गई हैं।

सार्वजनिक प्रशासन

Art 37 – प्रशासन के सिद्धांत (कानून, पारदर्शिता, नैतिकता, दक्षता) निर्धारित हैं।

Art 38 – सरकारी कर्मचारी के चुनाव लड़ने के नियम बताए गए हैं।

Art 39 – सरकारी कर्मचारियों की वेतन और सेवा संरचना तय की गई है।

Art 40 – सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है।

Art 41 – सरकारी कर्मचारियों को स्थायी सेवा सुरक्षा दी गई है।

Art 42 – राज्य पुलिस और सैन्य बलों की स्थिति निर्धारित है।

Art 43 – क्षेत्रीय विकास और असमानता कम करने के उपाय बताए गए हैं।

भाग IV – शासन संरचना

Art 44 – संसद (National Congress) की संरचना (दो सदन) बताई गई है।

Art 45 – प्रतिनिधि सभा (Chamber of Deputies) का गठन निर्धारित है।

Art 46 – सीनेट की संरचना और सदस्यों का निर्धारण है।

Art 47 – संसद में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं।

Art 48 – संसद के विधायी अधिकार (कानून बनाना) निर्धारित हैं।

Art 49 – संसद की विशेष शक्तियाँ (जैसे युद्ध, संधि) बताई गई हैं।

Art 50 – संसद को कार्यपालिका से जानकारी मांगने का अधिकार है।

भाग IV – शासन की संरचना (जारी)

विधायिका (Legislative)

Art 51 – प्रतिनिधि सभा (Chamber of Deputies) को विशेष अधिकार जैसे राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग (impeachment) की अनुमति देना प्राप्त है।

Art 52 – सीनेट को राष्ट्रपति और उच्च अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने तथा अंतरराष्ट्रीय संधियों की स्वीकृति देने का अधिकार है।

Art 53 – सांसदों को संसदीय विशेषाधिकार (immunity) और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की सुरक्षा दी गई है।

Art 54 – सांसदों को कुछ सरकारी/व्यावसायिक पद धारण करने से रोका गया है (हितों के टकराव से बचाव)।

Art 55 – सांसदों की सदस्यता समाप्त करने के आधार (जैसे भ्रष्टाचार, अनुपस्थिति) बताए गए हैं।

Art 56 – सांसद किन परिस्थितियों में अस्थायी रूप से पद छोड़ सकते हैं (जैसे मंत्री बनना)।

Art 57 – संसद के सत्र, बैठक और कार्यकाल की समय-सारणी निर्धारित है।

Art 58 – संसदीय समितियों (Committees) की संरचना और कार्य निर्धारित हैं।

Art 59 – विधायी प्रक्रिया के प्रकार (संविधान संशोधन, कानून, डिक्री आदि) बताए गए हैं।

विधि निर्माण प्रक्रिया (Legislative Process)

Art 60 – संविधान संशोधन की प्रक्रिया और सीमाएँ निर्धारित हैं।

Art 61 – कानून प्रस्तावित करने का अधिकार (राष्ट्रपति, सांसद, नागरिक आदि) तय किया गया है।

Art 62 – राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति में अस्थायी कानून (Provisional Measures) जारी कर सकता है।

Art 63 – कुछ विधेयकों में वित्तीय संशोधन की सीमाएँ तय की गई हैं।

Art 64 – विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया और प्राथमिकता निर्धारित है।

Art 65 – दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित करने की प्रक्रिया बताई गई है।

Art 66 – राष्ट्रपति द्वारा विधेयक की स्वीकृति (assent) या वीटो (veto) का प्रावधान है।

Art 67 – एक ही विधेयक को एक सत्र में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

Art 68 – राष्ट्रपति को कुछ मामलों में कानून बनाने के लिए अधिकार सौंपे जा सकते हैं (delegated legislation)।

Art 69 – पूरक कानून (complementary laws) के लिए विशेष बहुमत आवश्यक है।

कार्यपालिका (Executive)

Art 70 – सार्वजनिक वित्त और प्रशासन का नियंत्रण संसद और लेखा न्यायालय द्वारा किया जाता है।

Art 71 – लेखा न्यायालय (Tribunal of Accounts) के कार्य और शक्तियाँ निर्धारित हैं।

Art 72 – वित्तीय अनियमितताओं की जांच और रिपोर्टिंग का प्रावधान है।

Art 73 – लेखा न्यायालय की संरचना और सदस्यों की नियुक्ति बताई गई है।

Art 74 – आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और जवाबदेही का प्रावधान है।

Art 75 – राज्यों में भी समान लेखा प्रणाली लागू होती है।

राष्ट्रपति (President)

Art 76 – कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है।

Art 77 – राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है।

Art 78 – राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शपथ लेकर पद ग्रहण करते हैं।

Art 79 – उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का सहयोगी होता है और अनुपस्थिति में कार्य करता है।

Art 80 – राष्ट्रपति अनुपस्थित होने पर उत्तराधिकार क्रम (Speaker आदि) लागू होता है।

Art 81 – राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर नए चुनाव का प्रावधान है।

Art 82 – राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है।

Art 83 – राष्ट्रपति बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जा सकता।

Art 84 – राष्ट्रपति के विस्तृत अधिकार (जैसे कानून लागू करना, सेना नियंत्रण) निर्धारित हैं।

Art 85 – राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग (impeachment) के आधार बताए गए हैं।

Art 86 – राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया निर्धारित है।

Art 87 – मंत्रियों (Ministers) की नियुक्ति और कार्य बताए गए हैं।

Art 88 – मंत्रिपरिषद की संरचना निर्धारित है।

Art 89 – राष्ट्रीय परिषद (Council of the Republic) का गठन किया गया है।

Art 90 – इस परिषद के कार्य और सलाहकारी भूमिका बताई गई है।

Art 91 – राष्ट्रीय रक्षा परिषद (National Defense Council) का प्रावधान है।

न्यायपालिका (Judiciary)

Art 92 – न्यायपालिका की संरचना (Supreme Court आदि) निर्धारित है।

Art 93 – न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तें निर्धारित हैं।

Art 94 – वकीलों और अभियोजकों को न्यायपालिका में शामिल करने का प्रावधान है।

Art 95 – न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

Art 96 – न्यायालयों के प्रशासनिक अधिकार निर्धारित हैं।

Art 97 – कानून की असंवैधानिकता घोषित करने के लिए पूर्ण पीठ आवश्यक है।

Art 98 – विशेष न्यायालय (Special Courts) की स्थापना का प्रावधान है।

Art 99 – न्यायपालिका को वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है।

Art 100 – न्यायालय द्वारा दिए गए भुगतान (judicial orders) की प्रक्रिया निर्धारित है।

भाग IV – शासन की संरचना (जारी)

न्यायपालिका (Judiciary – जारी)

Art 101 – सर्वोच्च संघीय न्यायालय (Supreme Federal Tribunal) के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

Art 102 – सुप्रीम कोर्ट को संविधान की रक्षा और न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का अधिकार है।

Art 103 – कुछ संस्थाओं को संविधान की वैधता को चुनौती देने का अधिकार (Direct Action of Unconstitutionality) दिया गया है।

Art 103-A – सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी निर्णय (binding precedents) जारी कर सकता है।

Art 104 – उच्च न्यायालय (Superior Court of Justice) की संरचना निर्धारित है।

Art 105 – यह न्यायालय संघीय कानूनों की व्याख्या और अपीलों की सुनवाई करता है।

Art 106 – संघीय क्षेत्रीय न्यायालयों (Federal Regional Courts) का गठन किया गया है।

Art 107 – इन न्यायालयों की संरचना और अधिकार निर्धारित हैं।

Art 108 – संघीय न्यायालयों की अपील और विशेष अधिकार बताए गए हैं।

Art 109 – संघीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) का निर्धारण किया गया है।

Art 110 – संघीय न्यायालयों के मामलों के प्रशासनिक नियम दिए गए हैं।

Art 111 – श्रम न्यायालय (Labour Courts) की स्थापना का प्रावधान है।

Art 111-A – उच्च श्रम न्यायालय (Superior Labour Court) की संरचना निर्धारित है।

Art 112 – क्षेत्रीय श्रम न्यायालयों का गठन किया गया है।

Art 113 – श्रम न्यायालयों के अधिकार और प्रक्रिया निर्धारित हैं।

Art 114 – श्रम विवादों का निपटारा इन न्यायालयों द्वारा किया जाता है।

Art 115 – श्रम न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है।

Art 116 – चुनाव न्यायालय (Electoral Courts) की स्थापना की गई है।

Art 117 – चुनाव न्यायालयों के कार्य और अधिकार निर्धारित हैं।

Art 118 – उच्च चुनाव न्यायालय (Superior Electoral Tribunal) की संरचना तय है।

Art 119 – चुनाव न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित है।

Art 120 – क्षेत्रीय चुनाव न्यायालयों का गठन किया गया है।

Art 121 – चुनाव प्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान है।

Art 122 – सैन्य न्यायालय (Military Courts) की स्थापना का प्रावधान है।

Art 123 – उच्च सैन्य न्यायालय (Superior Military Court) की संरचना निर्धारित है।

Art 124 – सैन्य अपराधों के लिए विशेष न्यायालय का अधिकार क्षेत्र तय किया गया है।

Art 125 – राज्यों की न्यायपालिका की संरचना और अधिकार निर्धारित हैं।

Art 126 – राज्य न्यायालयों के अधिकार और विशेष न्यायालयों का प्रावधान है।

न्याय से संबंधित संस्थाएँ

Art 127 – लोक अभियोजन (Public Ministry) स्वतंत्र संस्था है जो कानून और अधिकारों की रक्षा करती है।

Art 128 – लोक अभियोजन की संरचना और नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित है।

Art 129 – लोक अभियोजन के कार्य (जैसे अपराध अभियोजन, संविधान रक्षा) बताए गए हैं।

Art 130 – अभियोजन प्रणाली की निगरानी और नियंत्रण का प्रावधान है।

Art 131 – संघ के लिए कानूनी सलाहकार (Advocate General) का प्रावधान है।

Art 132 – राज्यों के कानूनी प्रतिनिधियों का प्रावधान है।

Art 133 – वकीलों को न्याय प्रशासन का आवश्यक अंग माना गया है।

Art 134 – सार्वजनिक रक्षक (Public Defender) गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करते हैं।

Art 135 – इन संस्थाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित हैं।

भाग V – राज्य एवं लोकतंत्र की रक्षा

Art 136 – राज्य आपातकाल (State of Defense) लागू करने की शर्तें निर्धारित हैं।

Art 137 – आपातकाल (State of Siege) घोषित करने की प्रक्रिया बताई गई है।

Art 138 – आपातकाल की अवधि और नियंत्रण तय किया गया है।

Art 139 – आपातकाल में नागरिक अधिकारों पर सीमाएँ निर्धारित हैं।

Art 140 – आपातकाल लागू करने की प्रक्रिया संसद के नियंत्रण में है।

Art 141 – आपातकाल समाप्त होने पर सामान्य स्थिति बहाल होती है।

Art 142 – सशस्त्र बलों (Armed Forces) की भूमिका और नियंत्रण निर्धारित है।

Art 143 – सैन्य सेवा अनिवार्य है और वैकल्पिक सेवा का प्रावधान है।

Art 144 – सार्वजनिक सुरक्षा (Police System) की संरचना और जिम्मेदारियाँ निर्धारित हैं।

भाग VI – कर और बजट

कर प्रणाली

Art 145 – संघ, राज्य और नगर कर लगाने का अधिकार रखते हैं।

Art 146 – कर कानूनों के लिए सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं।

Art 147 – संघीय जिला को कराधान में विशेष अधिकार प्राप्त हैं।

Art 148 – संघ विशेष परिस्थितियों में अस्थायी कर लगा सकता है।

Art 149 – सामाजिक योगदान और विशेष कर लगाने का अधिकार दिया गया है।

Art 150 – कराधान पर सीमाएँ (जैसे समानता, वैधता, दोहरा कर निषेध) निर्धारित हैं।

भाग VI – कर एवं बजट (जारी)

Art 151 – संघ राज्यों या नगरों के बीच कर में भेदभाव नहीं कर सकता।

Art 152 – राज्य और नगर बाहरी वस्तुओं पर भेदभावपूर्ण कर नहीं लगा सकते।

Art 153 – संघ के कर (जैसे आयकर, आयात-निर्यात कर आदि) निर्धारित हैं।

Art 154 – संघ विशेष परिस्थितियों में नए कर लागू कर सकता है।

Art 155 – राज्यों को बिक्री, सेवाओं आदि पर कर लगाने का अधिकार है।

Art 156 – नगरपालिकाओं को संपत्ति और सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार है।

Art 157 – राज्यों को कुछ संघीय करों में हिस्सा मिलता है।

Art 158 – नगरों को राज्य करों में हिस्सा मिलता है।

Art 159 – कर राजस्व का वितरण संघ, राज्य और नगरों के बीच निर्धारित है।

Art 160 – कर वितरण को रोका नहीं जा सकता (कुछ अपवाद छोड़कर)।

Art 161 – कर वितरण के नियम कानून द्वारा तय किए जाते हैं।

Art 162 – कर संग्रह और वितरण की प्रक्रिया निर्धारित है।

सार्वजनिक वित्त

Art 163 – सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के लिए सामान्य नियम निर्धारित हैं।

Art 164 – केंद्रीय बैंक (Central Bank) की भूमिका और मुद्रा नियंत्रण का प्रावधान है।

Art 165 – बजट (Budget), योजना और वित्तीय कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है।

Art 166 – बजट की स्वीकृति और संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित है।

Art 167 – बजट में कुछ निषेध (जैसे अनधिकृत खर्च) तय किए गए हैं।

Art 168 – सरकारी निधियों के हस्तांतरण का नियम निर्धारित है।

Art 169 – सार्वजनिक व्यय और कर्मचारियों के खर्च पर नियंत्रण रखा गया है।

भाग VII – आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था

Art 170 – अर्थव्यवस्था का आधार सामाजिक न्याय और मुक्त उद्यम है।

Art 171 – राष्ट्रीय कंपनियों को प्राथमिकता (अब संशोधित/हटाया गया)।

Art 172 – विदेशी निवेश पर नियंत्रण और नियम निर्धारित हैं।

Art 173 – राज्य केवल आवश्यक परिस्थितियों में व्यापारिक गतिविधि कर सकता है।

Art 174 – राज्य अर्थव्यवस्था का नियामक और योजनाकार है।

Art 175 – सार्वजनिक सेवाओं का संचालन राज्य या निजी क्षेत्र द्वारा किया जा सकता है।

शहरी नीति

Art 182 – शहरों का विकास सामाजिक कार्य और सार्वजनिक हित पर आधारित होगा।

Art 183 – शहरी भूमि पर कब्जे से स्वामित्व का अधिकार (adverse possession) दिया गया है।

कृषि एवं भूमि सुधार

Art 184 – सरकार सार्वजनिक हित में भूमि अधिग्रहण कर सकती है।

Art 185 – कुछ संपत्तियाँ भूमि सुधार से बाहर रखी गई हैं।

Art 186 – भूमि के सामाजिक उपयोग की शर्तें निर्धारित हैं।

Art 187 – कृषि नीति के सिद्धांत बताए गए हैं।

Art 188 – सार्वजनिक भूमि के उपयोग और वितरण का प्रावधान है।

Art 189 – भूमि सुधार के लाभार्थियों के अधिकार निर्धारित हैं।

Art 190 – विदेशी व्यक्तियों द्वारा भूमि स्वामित्व पर नियम बनाए गए हैं।

Art 191 – ग्रामीण भूमि पर कब्जे से स्वामित्व का अधिकार दिया गया है।

वित्तीय प्रणाली

Art 192 – राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का संचालन कानून द्वारा नियंत्रित होता है।

भाग VIII – सामाजिक व्यवस्था

सामान्य प्रावधान

Art 193 – सामाजिक व्यवस्था का उद्देश्य कल्याण और न्याय है।

Art 194 – सामाजिक सुरक्षा प्रणाली (Social Security) की संरचना निर्धारित है।

Art 195 – सामाजिक सुरक्षा के वित्तपोषण के स्रोत बताए गए हैं।

स्वास्थ्य

Art 196 – स्वास्थ्य सभी का अधिकार और राज्य का कर्तव्य है।

Art 197 – स्वास्थ्य सेवाएँ सार्वजनिक महत्व की हैं।

Art 198 – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली (SUS) का संगठन निर्धारित है।

Art 199 – निजी स्वास्थ्य सेवाओं को भी अनुमति है।

Art 200 – स्वास्थ्य प्रणाली के कार्य और जिम्मेदारियाँ निर्धारित हैं।

सामाजिक सहायता

Art 201 – सामाजिक सुरक्षा लाभ (पेंशन आदि) का प्रावधान है।

Art 202 – निजी पेंशन प्रणाली का प्रावधान है।

Art 203 – सामाजिक सहायता (गरीबों के लिए) का प्रावधान है।

Art 204 – सामाजिक सहायता के प्रशासन के सिद्धांत बताए गए हैं।

शिक्षा, संस्कृति, खेल

Art 205 – शिक्षा सभी का अधिकार और राज्य का कर्तव्य है।

Art 206 – शिक्षा के सिद्धांत (समानता, गुणवत्ता) निर्धारित हैं।

Art 207 – विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता दी गई है।

Art 208 – राज्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य है।

Art 209 – निजी शिक्षा संस्थानों की अनुमति है।

Art 210 – राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है।

Art 211 – शिक्षा प्रणाली संघ, राज्य और नगरों के बीच विभाजित है।

Art 212 – शिक्षा पर न्यूनतम व्यय निर्धारित किया गया है।

Art 213 – सार्वजनिक निधि का उपयोग शिक्षा में किया जा सकता है।

Art 214 – राष्ट्रीय शिक्षा योजना का प्रावधान है।

Art 215 – सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा की गई है।

Art 216 – सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा का प्रावधान है।

Art 217 – खेल और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया गया है।

विज्ञान और तकनीक

Art 218 – विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य है।

Art 219 – राष्ट्रीय तकनीकी विकास को प्राथमिकता दी गई है।

संचार

Art 220 – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है।

Art 221 – प्रसारण के सिद्धांत निर्धारित हैं।

Art 222 – मीडिया स्वामित्व पर नियम बनाए गए हैं।

Art 223 – प्रसारण लाइसेंस देने की प्रक्रिया निर्धारित है।

Art 224 – सामाजिक संचार परिषद का गठन किया गया है।

पर्यावरण

Art 225 – पर्यावरण संरक्षण सभी का कर्तव्य है और राज्य इसकी रक्षा करेगा।

परिवार, बच्चे, वृद्ध

Art 226 – परिवार को समाज की मूल इकाई माना गया है।

Art 227 – बच्चों और युवाओं के अधिकारों की रक्षा की गई है।

Art 228 – नाबालिगों के लिए विशेष न्यायिक व्यवस्था है।

Art 229 – माता-पिता और बच्चों के पारस्परिक दायित्व बताए गए हैं।

Art 230 – वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की गई है।

आदिवासी (Indigenous)

Art 231 – आदिवासियों के भूमि और सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता दी गई है।

Art 232 – आदिवासी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जा सकते हैं।

भाग IX – सामान्य संवैधानिक प्रावधान (Art 233–250)

विस्तृत अनुच्छेदवार व्याख्या

Art 233 – राज्यों की न्यायपालिका से संबंधित प्रावधानों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और नियंत्रण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

Art 234 – राज्य न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों (जजों) की नियुक्ति राज्य सरकार और न्यायपालिका के सहयोग से की जाती है।

Art 235 – राज्य न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण और अनुशासन का अधिकार उच्च न्यायालयों को दिया गया है।

Art 236 – न्यायपालिका में प्रयुक्त पदों (जैसे नोटरी, रजिस्ट्रार) और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया है।

Art 237 – न्यायिक सेवाओं और संबंधित संस्थाओं को संघीय स्तर पर एकीकृत या विनियमित किया जा सकता है।

Art 238 – कुछ पूर्व संवैधानिक प्रावधानों को समाप्त या संशोधित किया गया है (historical adjustment clause)।

Art 239 – श्रमिक सहायता और बेरोजगारी बीमा के लिए विशेष निधि (PIS/PASEP) का प्रावधान किया गया है।

Art 240 – श्रमिक संघों और पेशेवर संगठनों के लिए वित्तीय योगदान और कर व्यवस्था निर्धारित की गई है।

Art 241 – संघ, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच सहयोग (cooperative federalism) के लिए समझौते और संयुक्त प्रशासन की अनुमति दी गई है।

Art 242 – शिक्षा और राष्ट्रीय इतिहास से जुड़े संस्थानों (जैसे विश्वविद्यालय, ऐतिहासिक स्मारक) की सुरक्षा और विकास का प्रावधान है।

Art 243 – अवैध गतिविधियों (जैसे नशीली दवाओं की खेती या दास श्रम) में उपयोग की गई भूमि को सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है।

Art 244 – गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सहायता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का प्रावधान है।

Art 245 – अपराध पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए राज्य द्वारा सहायता और मुआवजे की व्यवस्था की जा सकती है।

Art 246 – संविधान संशोधन के बाद संघ और राज्यों के बीच विधायी अधिकारों के टकराव को नियंत्रित किया जाता है।

Art 247 – सार्वजनिक प्रशासन में दक्षता और संगठन को सुधारने के लिए कानून बनाने का प्रावधान है।

Art 248 – संघ को प्रशासनिक और विधायी सुधारों के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं।

https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_2017

Art 249 – राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों में विशेष विधायी शक्तियाँ लागू की जा सकती हैं।

Art 250 – संविधान के अंतिम सामान्य प्रावधानों के रूप में प्रशासनिक और संवैधानिक संतुलन बनाए रखने की व्यवस्था दी गई है।

संक्रमणकालीन संवैधानिक प्रावधान अधिनियम, 1988

धारा 1 से 114 (Act / Section Style – हिंदी)

धारा 1

संविधान लागू होते ही राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष और संसद सदस्य संविधान की रक्षा हेतु शपथ लेंगे।

धारा 2

जनमत संग्रह द्वारा शासन प्रणाली (गणराज्य/राजतंत्र और संसदीय/राष्ट्रपति प्रणाली) तय की जाएगी।

धारा 3

संविधान 5 वर्ष बाद संसद द्वारा पुनरीक्षित किया जाएगा।

धारा 4

राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के कार्यकाल और चुनाव संबंधी अस्थायी प्रावधान निर्धारित हैं।

धारा 5

1988 चुनाव हेतु विशेष पात्रता और प्रक्रिया लागू होगी।

धारा 6

नए राजनीतिक दलों के गठन की अस्थायी प्रक्रिया निर्धारित है।

धारा 7

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायालय के गठन हेतु समर्थन।

धारा 8

राजनीतिक कारणों से प्रभावित व्यक्तियों को आम माफी (Amnesty)।

धारा 9

राजनीतिक अधिकारों की बहाली हेतु न्यायालय में अपील का अधिकार।

धारा 10

श्रमिक अधिकारों की अस्थायी सुरक्षा (जैसे गर्भवती महिला सुरक्षा, नौकरी सुरक्षा)।

धारा 11–20 (राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था)

धारा 11 – राज्यों को 1 वर्ष में संविधान बनाना होगा।

धारा 12 – क्षेत्रीय सीमांकन हेतु समिति गठन।

धारा 13 – टोकेंटिन्स राज्य का निर्माण।

धारा 14 – रोराइमा व अमापा को राज्य का दर्जा।

धारा 15 – फर्नांडो डी नोरोन्हा का विलय।

धारा 16 – संघीय जिले का प्रशासन।

धारा 17 – असंवैधानिक वेतन/लाभों में कटौती।

धारा 18 – बिना परीक्षा नियुक्ति अमान्य।

धारा 19 – कुछ कर्मचारियों को स्थायी सेवा।

धारा 20 – पेंशन और लाभों का पुनरीक्षण।

धारा 21–30 (न्यायपालिका एवं विधिक ढाँचा)

धारा 21 – न्यायाधीशों को स्थायित्व प्रदान।

धारा 22 – लोक रक्षक (Public Defender) के अधिकार।

धारा 23 – सेंसर अधिकारियों की अस्थायी भूमिका।

धारा 24 – प्रशासनिक सुधार हेतु कानून।

धारा 25 – कार्यपालिका से विधायी शक्तियाँ हटाना।

धारा 26 – विदेशी ऋण की जांच।

धारा 27 – उच्च न्यायालय की स्थापना।

धारा 28 – न्यायाधीशों की वरिष्ठता।

धारा 29 – लोक अभियोजन की व्यवस्था।

धारा 30 – न्यायिक अधिकारियों की निरंतरता।

धारा 31–40 (वित्त, न्याय, प्रशासन)

धारा 31 – अदालत कर्मचारी राज्यों के अधीन।

धारा 32 – नोटरी सेवाओं का नियमन।

धारा 33 – सरकारी देनदारियों का किस्तों में भुगतान।

धारा 34 – पुरानी कर प्रणाली अस्थायी रूप से लागू।

धारा 35 – बजट संक्रमण व्यवस्था।

धारा 36 – अनावश्यक फंड समाप्त।

धारा 37 – वित्तीय अनुशासन लागू।

धारा 38 – कर्मचारियों पर खर्च सीमा।

धारा 39 – बजट संशोधन।

धारा 40 – मनाॅस फ्री ट्रेड ज़ोन जारी।

धारा 41–60 (आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था)

धारा 41 – कर प्रोत्साहनों की समीक्षा।

धारा 42 – सिंचाई निधि वितरण।

धारा 43 – खनन अधिकार समाप्ति नियम।

धारा 44 – खनिज कंपनियों के नियम।

धारा 45 – पेट्रोलियम अपवाद।

धारा 46 – वित्तीय दायित्व संशोधन।

धारा 47 – छोटे व्यवसाय ऋण राहत।

धारा 48 – उपभोक्ता संरक्षण कानून।

धारा 49 – भूमि/संपत्ति प्रावधान।

धारा 50 – कृषि नीति कानून।

धारा 51 – सार्वजनिक भूमि समीक्षा।

धारा 52 – विदेशी बैंक नियंत्रण।

धारा 53 – पूर्व सैनिकों के अधिकार।

धारा 54 – रबर श्रमिकों के लाभ।

धारा 55 – स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु बजट।

धारा 56 – सामाजिक सुरक्षा निधि।

धारा 57 – राज्य ऋण भुगतान व्यवस्था।

धारा 58 – पेंशन मूल्य संशोधन।

धारा 59 – सामाजिक सुरक्षा योजना।

धारा 60 – शिक्षा (FUNDEB फंड)।

धारा 61–80 (शिक्षा, सामाजिक न्याय, वित्त)

धारा 61 – शिक्षा संस्थानों को वित्त सहायता।

धारा 62 – ग्रामीण प्रशिक्षण सेवा (SENAR)।

धारा 63 – राष्ट्रीय समारोह समिति।

धारा 64 – संविधान की मुफ्त प्रतियां।

धारा 65 – मीडिया कानून नियमन।

धारा 66 – दूरसंचार लाइसेंस जारी।

धारा 67 – आदिवासी भूमि सीमांकन।

धारा 68 – दास समुदायों को भूमि अधिकार।

धारा 69 – राज्य विधिक कार्यालय।

धारा 70 – न्यायालय अधिकार जारी।

धारा 71–72 – आपात सामाजिक निधि (Emergency Fund)।

धारा 73–75 – वित्तीय कर एवं योगदान।

धारा 76–80 – गरीबी उन्मूलन निधि।

धारा 81–100 (सामाजिक एवं वित्तीय सुधार)

धारा 81 – निजीकरण निधि।

धारा 82 – राज्य/नगर गरीबी फंड।

धारा 83 – विलासिता वस्तुओं की परिभाषा।

धारा 84–85 – वित्तीय लेन-देन कर।

धारा 86–87 – सरकारी देनदारियाँ।

धारा 88–90 – (अतिरिक्त वित्तीय/प्रशासनिक प्रावधान)।

धारा 91–100 – सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय नियंत्रण नियम।

धारा 101–114 (अंतिम संक्रमणकालीन प्रावधान)

 ये अंतिम धाराएँ मुख्यतः

✔ वित्तीय नियंत्रण

✔ सामाजिक योजनाएँ

✔ प्रशासनिक संतुलन

✔ संविधान के पूर्ण कार्यान्वयन

से संबंधित हैं

M/s.Adv.Ganesh Shrirang Satarkar & Co.
Published By This Book

THE END

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932